भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 4790
उत्तर देने की तारीखः 23.03.2020

विद्यालयों में अनिवार्य एनसीसी प्रशिक्षण

4790. डॉ॰ ढालसिंह बिसेनः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से एनसीसी की शिक्षा दिए जाने की संभावना है, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): एनसीसी पूरी तरह से एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसे चुनने के लिए स्कूल स्वतंत्र हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपनी पाठ्यचर्या के तहत IX-XII तक की कक्षाओं में वैकल्पिक ऐच्छिक के रूप में एनसीसी की शुरुआत की है। एनसीसी निदेशालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद स्कूल एनसीसी को शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं।

डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) समिति ने 31 मई, 2019 को मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे विभिन्न हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट **innovate.myb.in** मंच पर भी पर अपलोड किया गया। मसौदा एनईपी पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सभी फीडबैक/टिप्पणियों के आधार पर, मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

*****